न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–07 / 2017–2018

राज्य बनाम विक्रम कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
13.6.2017	**आदेश** बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, खगड़िया थाना कांड सं०–211 / 2017, दिनांक–03.04.2017 से प्राप्त संबंधित सहायक आरक्षी निरीक्षक, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–06.04.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1443 / सी.आर., दिनांक–22.04.2017 द्वारा भी स.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है। स.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR34K-0748 Honda Dream Motorcycle है, जिसे दिनांक–03.04.2017 को अवैध रूप से Royal Stage Whisky 375ml का 31 बोतल अंग्रेजी शराब ले जाते हुए जप्त किया गया। स.अ.नि., खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त मोटरसाईकिल की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जप्त वाहन थाना परिसर में रखा गया है। जप्ती सूची के अनुसार उक्त मोटरसाईकिल से Royal Stage Whisky 375ml का 31 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। जप्ती सूची पर संतोष कुमार शर्मा, पु.अ.नि. के साथ सुदामा सहनी, पिता–रामदेव सहनी एवं अजय साह, पिता–विशुनदेव साह का हस्ताक्षर है। जप्ती सूची की एक प्रति विक्रम कुमार को हस्तगत करा दिया गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराये गये Screen Report से वाहन संख्या BR34K-0748 के स्वामी रवि कुमार, पिता–विन्देश्वरी तांती, ग्राम–राँको डीह, पो०–राँको, खगड़िया हैं। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.
	प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत मोटरसाईकिल के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी रवि कुमार के पक्ष से उनकी माता अमला देवी द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से 13.06.2017 को कारण–पृच्छा दायर किया गया। कारण–पृच्छा में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि वे मजदूरी के सिलसिले में हैदराबाद रहकर राजमिस्त्री का काम करते है। करीब एक वर्ष पूर्व उनकी शादी सम्पन्न होने के पश्चात् वे फिर बाहर चले गये। उक्त वाहन घर पर ही था। इसी बीच उनके ससुराल से संबंधित एक व्यक्ति विक्रम कुमार उनके घर पर आये तथा अपनी बहन के घर जाने के लिए मोटरसाईकिल लेकर चले गये। बाद में ज्ञात हुआ कि मोटरसाईकिल को विक्रम कुमार की अभिरक्षा से जप्त कर लिया गया। अमला देवी का कथन है कि किसी की बेहद जरूरी जरूरत को पूरी करने हेतु यह भूल हो गई। उनका अनुरोध है कि वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय। संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है। सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा वे उपस्थित भी हुए और उनके द्वारा कारण–पृच्छा भी दायर किया गया। परन्तु कारण–पृच्छा न्यायहित में भी नहीं है। अतः कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है। उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR34K-0748 Honda Dream Motorcycle चेचिस नं0–ME4JC62DEG8007205 बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है। 1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR34K-0748 Honda Dream Motorcycle, चेचिस नं0–ME4JC62DEG8007205 जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय। 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR34K-0748 Honda Dream Motorcycle, चेचिस नं0–ME4JC62DEG8007205 का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी लेखापित एवं संशोधित समाहर्ता, 13/6 खगड़िया। समाहर्ता, 13/6 खगड़िया।	